मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 10 सितम्बर, 1992 (भाद्र 19, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामहित गुप्त, वित्तमंत्री भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) क्रमांक-1 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामहित गुप्त, वित्तमंत्री भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) क्रमांक-2 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, उर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखे तथा लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री ललित जैन, सदस्य इन्दौर नगर में दूध के भावों में वृद्धि से उपभोक्ताओं में रोष होने की ओर पशुधन एवं डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में गैस पीड़ित महिलाओं हेतु चलाये जा रहे सिलाई केन्द्रों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

दिनांक 1-सितम्बर 1992 को माननीय सदन के नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चा में इस बात पर सहमति हुई कि वर्तमान समितियों को अगले वर्ष के बजट सत्र तक जारी रखा जाये.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डा. शक्राजीत नायक, सभापति गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा (1) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 18 सन् 1992) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 20 सन् 1992) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 21 सन् 1992) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. मंत्री परिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव

(1) श्री श्यामाचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष, श्री रामानन्द सिंह, श्री जगदंबा प्रसाद निगम, श्री विश्वंभर पांडे, सदस्य निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्री सुन्दरलाल पटवा के नेतृत्व में गठित मंत्रीपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

(2) सर्वश्री गजराज सिंह, डा. गोविन्द सिंह, ठा. दरबार सिंह, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्री सुन्दरलाल पटवा के नेतृत्व में गठित मंत्रीपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 13 मार्च 1992 को मुख्यमंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्रमांक 4300) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदंबा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 9 सितम्बर, 1992